पाँच रुपये FIVE RUPEES

(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प उज्जैन.

प्रकरण क्रमांक । २००५ निगरानी 1949-I/05

अम्बालाल पिता चम्पालालजी बलाई
आयु ६१ वर्ष निवासी ग्राम नालीखेड़ा
तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर
---- आवेदक

आज दिनांक 17/11/05 को श्री आर.सी. परिहार अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उज्जैन. पर प्रस्तुत।
D.R. 17/11/05

विरुद्ध

चन्द्रप्रकाश पिता नारायणजी पाटीदार
निवासी ग्राम बालागुढा तहसील मल्हारग
जिला मन्दसौर. ----- अनावेदक

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०सं०
बनाराजी निर्णय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन सम्भाग, उज्
आदेश दिनांक १२-८-०५ प्रकरण क्रमांक १५४।२००३-०४ नि

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन सम्भाग उज्जैन द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक १२-८-०५ प्रकरण क्रमांक १५४।२००३-०४ निगरानी से असन्तुष्ट एवम दुखित होकर निम्न आधारों पर निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :-

१- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा पारित विवादि आदेश विधि एवम विधान के विपरि होने से निरस्त किया जाने के योग्य है।

२- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों पर भलिभांति पूर्वक विचार किये बगैर विवादित निणय पारित करने में वैधानिक व तथ्यात्मक त्रुटी की गई है। इस कारण विवादित आदेश कायम रखा जाने के योग्य नही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

[अम्बालाल / चंद्रप्रकाश]

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1949-एक/05 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
23-3-2018	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदक पेशी दिनांक 25-3-10 के बाद अनुपस्थित है। न्यायहित में आवेदक की उपस्थिति के लिए प्रकरण में आज दिनांक 23-3-2018 तक इंतजार किया गया । अत: आवेदक को प्रकरण के निराकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	